अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चतुर्भज पुत्र किशना बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 230/2023 (मौजमाबाद)

	श्री शंकरलाल चौधरी एडवोकेट	
17.07.2023	चतुर्भज बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (2023/230) यह अपील श्री शंकरलाल चौधरी एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 385/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति राजकीय अभिभाषक को दी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम व 151 जा. दी. इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 193 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाड़ी जिसके हाल खसरा नम्बर 562 रकबा 2.5669 है0 भूमि वाकै ग्राम रसीली तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिस पर प्रार्थी के पिता किशन का सम्वत 2012 अर्थात राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से कब्जा है और काश्त करते आ रहे थे। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 बहिस्सा बराबर–बराबर उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा उक्त आराजीयात के कानूनन खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता का कब्जा होने के बाजवूद भी वरक्त सैटलमेन्ट अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की गलत से आराजीयात मुतदाविया की गैर खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम नहीं लाई गई और अप्रार्थी की भूमि से आराजी मुतदाविया गैर मुमकिन नाड़ी दर्ज हो गई जो आज तक वदस्तुर है जबकि काननून सैटलमेन्ट के वक्त ही उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी जो नहीं होने से प्रार्थी के अधिकारोंको सख्त हकतलफी हुई है। आराजीयात मुतदाविया पर पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 के पिता एवं वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 काबिज काश्त है इस आराजी में कभी भी पानी नहीं भरता है और न ही यह नाड़ी के काम आती है बल्कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 आराजीयात मुतवादिया को काश्त कर रहे है और फसल बोते हुए आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण की भूल से आराजी मुतदाविया को गैर मुमकिन नाड़ी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 01, 02 प्रार्थी को परेशान करते है और बेदखल करने पर उतारू है जबकि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 के पिता का कब्जा मानते हुए पेनेल्टी की रसीदे भी दी है एवं प्रार्थी को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस वर्ष 2021 में दिये तथा अभी हाल ही में दिनांक 27.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी पटवारी हल्का ने बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 0.4.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। तथा यह आदेश पारित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजअदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमे

चतुर्भज पुत्र किशना बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 230/2023 (मौजमाबाद)

शिवशंकर लाल चौधरी एड.

लगातार

किये गये है कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2023 से असंतुष्ट होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें की आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलबाजी न स्वयं करे, न अन्य से करावें, न पेनेल्टी वसूल करें, न कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी पर प्रार्थी/अपीलांट को कब्जा काश्त हों परन्तु विवादित आराजी की किस्म नाड़ी है इसलिए स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible] के आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दर्ज कर, प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जाकर, अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करना चाहिए थी, प्रकरण अभी प्राथमिक स्तर पर ही नियत है तथा प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner